न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/161

1. स्वर्गीय बिरधीलाल पुत्र जालमा जाति मीणा निवासी बल्लोप तहसील एवं जिला बून्दी मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1 मुकुट बिहारी पुत्र स्व0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी बल्लोप

1/2 रामलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी बल्लोप तहसील व जिला बून्दी

1/3 मृतक ओम प्रकाश पुत्र स्व0 बिरधी लाल, जाति मीणा जरिये कायम मुकामान–

1/3/1 चेतन पुत्र ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लोप तहसील व जिला बून्दी राज0।

––अपीलान्टगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
2. प्रीतपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय चंचलसिंह जाति सिक्ख मृतक जरिये कायम मुकामान

2/1 इन्द्रजीत कौर(पत्नी)

2/2 अशप्रीत सिंह(पुत्र)

2/3 हरप्रीत सिंह(पुत्र)

3. जयपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय चंचलसिंह जाति सिक्खा
4. जसमेल कौर पत्नी स्वर्गीय चंचलसिंह जाति सिक्ख
5. सुरजीत कौर पत्नी उजागर सिंह जाति सिक्ख
6. कमलजीत कौर पुत्री स्वर्गीय चंचलसिंह जाति सिक्ख

नाबालिग जर्ये वली माता जसमेल कौर

निवासीगण बडगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा

7. राजबाई पत्नी उदा जाति मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगांव
8. गिरधारी पुत्र उदा जाति मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगांव
9. रामदेव पुत्र उदा जाति मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगांव
10. टीकम पुत्र उदा नाबालिग जरिये वली माता राजबाई
11. परमा पुत्र उदा नाबालिग जरिये वली माता राजबाई
12. मोहिनी पुत्री
13. कैलाशी पुत्री
14. घासी पुत्र नाबालिग जरिये वली माता राजबाई पत्नी उदा जाति मीणा निवासी बड़गांव
15. मोहन पुत्र घासी मीणा नान्दना उर्फ बडगांव
16. कमला पुत्री घासी मीणा नान्दना उर्फ बडगांव
17. निर्मला पुत्री घासी मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगावं जिला कोटा राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री हेमन्तकृष्ण विजय अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 13.01.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 789/2001 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवनगर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 28 की 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 30 की रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा जिसके बाद बन्दोबस्त हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.06 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 60/137 की रकबा 0.35 हैक्टेयर बनाये गये है। उपरोक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 उदा, घासी ने प्रतिवादी कम 2 श्री चंचल सिंह

5. पुरजीत पुत्र पत्नी उजागिर सिंह ...

को अवैध रूप से बैचान कर दी है। प्रतिवादी कम 2 सवर्ण जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादी कम 1 की जाति मीणा है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 का स्पष्टतः उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है से खारिज कर प्रतिवादी संख्या 2 हो सवर्ण जाति का सदस्य है के नाम खाते दर्ज कर दी गई है तथा वह उक्त आराजी पर मौके पर काबिज है। उक्त हस्तांतरण अवैध रूप से हुआ है। हस्तांतरण की जानकारी होने की तिथि से प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अवैध हस्तांतरण होने के परिणामस्वरूप आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 के खाते से खारिज कर उसे बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2009 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक घोषित किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को कब्जा राज में लिए जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 17 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 17 अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकर की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में स्वयं सरकार की ओर से आवेदन में सेटलमेंट के द्वारा चंचलसिंह का नाम चढ़ाने का विषय था, जिससे स्पष्ट है कि खातेदार उदा, घांसी ने भूमि हस्तांतरित नहीं की थी, बल्कि सेटलमेंट के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से चंचलसिंह का नाम खातेदारी में अंकित किया गया था। जबकि विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि सेटलमेंट को राजस्व रिकॉर्ड की एन्ट्री के परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में चंचलसिंह का नाम खाते में आने के आधार पर धारा 175 की कार्यवाही नहीं चल सकती थी। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह आधार बताया गया कि बिरधीलाल ने भूमि अपने नाम कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की है यह नहीं बताया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वस्तुस्थिति रखने का अवसर नहीं मिला। खरीदने के तथ्य आवेदन में लिखे थे। अपीलांट द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 14.02.1997 को कार्यवाही कर दी थी जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब भी आया था। जिसका केस नम्बर 60/67 था। दिनांक 03.08.2002 को लिखित बहस दी गई है। पत्रावली आदेश में थी जिस पर पत्रावली न्यायालय में तलाश करते रहने पर भी नहीं मिली, आदेश की जानकारी भी नहीं हुई तब दिनांक 20.03.2004 को पत्रावली तलाश करने का आदेश भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को न्याय नहीं मिला एवं यह धारा 175 की कार्यवाही चल रही थी, दिनांक 21.02.2008 की पेश पर धारा 136 की पत्रावली तलबी किये जाने का विषय भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि धारा 136 की कार्यवाही सेटलमेंट की गलती को दुरूस्त करने हेतु की गई थी। उसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि सेटलमेंट की गलती दुरूस्त की कार्यवाही नहीं की गई है एवं जमीन विक्रय की है जो गलत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट स्वयं मीणा जनजाति का है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से भूमि खरीदी गई है एवं इन्तकाल भी खुला है एवं जमाबंदी में भी इन्द्राज है, उसके उपरांत सेटलमेंट द्वारा की गई गलती का दण्ड अपीलांट को दिया जाना उचित नहीं है। भूमि पर कब्जा अपीलांट का ही है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार यदि कार्यवाही में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो आवेदन की कार्यवाही को वाद की कार्यवाही के रूप में स्वतः ही परिवर्तित किया जाकर

सम्पूर्ण प्रकिया वाद की तरह किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख दिया गया था कि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खरीदशुदा एवं कब्जाशुदा है, प्रकरण वाद की तरह निस्तारित किया जाना चाहिये था, तनकी का गठन किया जाना चाहिये था, साक्ष्य का भी अवसर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया। जबकि वह आदेशात्मक व्यवस्था है, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट की विक्रय पत्र की रजिस्ट्री वर्ष 1977 की थी तथा इसका इन्तकाल भी दिनांक 04.08.1979 को खुल चुका था, उसके उपंरात एक लम्बी अवधि बीत जाने के कारण धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किए जाने की निर्धारित समयावधि निकल जाने के कारण धारा 175 की कार्यवाही अवधि बाधित थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है, चंचलसिंह के विरूद्ध दिनांक 30.07.1992 को जवाब बन्द होने के पश्चात यह तथ्य पत्रावली पर था कि चंचल सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कायम मुकामान के नाम भी पत्रावली पर थे, लेकिन कायम मुकाम बनाने की कार्यवाही नहीं की गई जिससे कार्यवाही स्वतः ही अबेट होने योग्य हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो स्वतः ही निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से हस्तगत प्रकरण में किसी भी तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं किया गया है। सरकार की ओर से पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, पटवारी की रिपोर्ट कब्जे के बाबत प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। विवादित भूमि पर कब्जा आज भी अपीलांट का ही है। अपीलांट के पास कर्ता पिलाई की रसीद भी है। धारा 175 की कार्यवाही के लिए खातेदार की जाति क्या है, यह तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। अपीलांट की खरीद की रजिस्ट्री में चंचल सिंह का नाम बेचान में होना बताया है। परन्तु चंचल सिंह की जाति का का उल्लेख उक्त बेचान में नहीं है। हस्तगत प्रकरण का पक्षकार बडगांव का निवासी है तथा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में उल्लेखित चंचल सिंह शोपिंग सेन्टर का निवासी है अतः उक्त दोनो भिन्न व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम देवनगर की साबिक खसरा नम्बर 28 की रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर

30 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि उदा, घासी पिसरान नारायण जाति मीणा सा0 नांदना की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। उदा, घासी सगे भाई थे तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उदा द्वारा अपने हिस्से की भूमि को चंचल सिंह को बैचान किया गया है। चंचल सिंह सवर्ण जाति का सदस्य है। अतः उदा द्वारा किया गया बैचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। कानूनन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि को किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः वादग्रस्त भूमि को खातेदार उदा द्वारा चंचल सिंह को किया गया बैचान किए जाने के कारण वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में धारा 175 की कार्यवाही की जाकर वादग्रस्त भूमि को सिवायचक भूमि घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.05.2009 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036 के अनुसार ग्राम देवनगर तहसील लाडपुरा की प्रश्नगत खसरा नम्बर 28, खसरा नम्बर 30 कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि खातेदार उदा, घासी पिसरान नारायण जाति मीना सा0 नान्दना हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 27.05.1977 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 28 एवं खसरा नम्बर 30 कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि में निहित घासीलाल के 1/2 हिस्से को खातेदार घासीलाल द्वारा बिरधीलाल आत्मज जालमा को विकय किए जाने का अंकन है। साथ ही उक्त विकय–पत्र दिनांक 27.05.1977 में स्वयं खातेदार घांसीलाल द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि उसके भाई उदा के शेष 1/2 हिस्से की भूमि को उदा द्वारा चंचल सिंह पुत्र उजागर सिंह को विकय–पत्र दिनांक 27.05.1977 से पूर्व विकय की जा चुकी

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

है। उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 27.05.1977 में चंचल सिंह पुत्र उजागर सिंह का नाम पहचानकर्ता के रूप में होने का अंकन है तथा विक्रय–पत्र दिनांक 27.05.1977 पर चंचल सिंह के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निसानी भी अंकित है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत विक्रय की दिनांक 27.05.1977 से पूर्व की वादग्रस्त भूमि के खातेदार उदा द्वारा अपने हिस्से को चंचल सिंह को बैचान किया जाना प्रकट होता है। चूंकि उदा की जाती मीना है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि का किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया हस्तांतरण विधि विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में खातेदार उदा एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा चंचल सिंह गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2038 से 2057 में वादग्रस्त भूमि चंचल सिंह आत्मज उजागर सिंह की खातेदारी में दर्ज होने का अंकन है। भू–प्रबन्ध के पश्चात कायम की गई जमाबंदी सम्वत् 2049 से 2052 एवं 2065 से 2068 में वादग्रस्त भूमि चंचल सिंह एवं उसके वारिसान के खाते दर्ज होने का अंकन है। अपीलांट ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादग्रस्त भूमि चंचल सिंह के खाते में किस आधार पर दर्ज हुई? भू–प्रबन्ध से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 17 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि चंचल सिंह के खाते दर्ज होने का अंकन हो। हमारे मत में प्रश्नगत भूमि विक्रय–पत्र दिनांक 27.05.1977 में उल्लेखित उदा द्वारा चंचल सिंह के पक्ष में किए गए तथाकथित बैचान के आधार पर चंचल सिंह के खाते दर्ज किया जाना प्रकट होता है। अतः प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 27.05.1977 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उदा जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जिसके द्वारा चंचल सिंह जो कि सवर्ण जाति का सदस्य है, को वादग्रस्त भूमि का बैचान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि का बैचान घांसीलाल द्वारा बिरधीलाल के पक्ष में किया गया है परन्तु बिरधीलाल द्वारा स्वयं की खरीदशुदा भूमि को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि बिरधीलाल द्वारा भी उक्त भूमि का बैचान चंचल सिंह को कर दिया है। चूंकि भू–प्रबन्ध द्वारा सम्पूर्ण भूमि चंचल सिंह के खाते दर्ज की गई है अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से सहमत है कि बिरधीलाल द्वारा भी उक्त भूमि का बैचान चंचल सिंह को किया जा चुका है। हमारे मत में वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे का हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति के खातेदारान द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य चंचल सिंह को किया जाना प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 28.05.2009 में अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 789/2001 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा